स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन

प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन इकाई अनूपपुर द्वारा पूर्व से निर्मित पिपरिया से सारिसताल मार्ग का उन्नयन/निर्माण तथा मार्ग के अंतर्गत पुल/पुलिया निर्माण किये जाने के लिये प्रस्ताव वन संरक्षण अधिनियम के निर्धारित प्रारूप एवं प्रकिया के अनुसार प्रस्तुत किया है। आवेदित क्षेत्र परिक्षेत्र बिजुरी के कक्ष कमांक आर. एफ. 537, 538, पी.एफ. 539 के आंशिक क्षेत्र कुल 2.800 कि.मी. लम्बाई तथा 7.50 मीटर चौड़ाई कुल (2.100 हे.) वन भूमि में प्रस्तावित है। उक्त क्षेत्र का दिनांक 23/4/2017 को स्थल निरीक्षण किया गया, स्थल निरीक्षण में निम्नानुसार स्थिति पाई गयी :–

1– प्रस्तावित मार्ग पूर्व से निर्मित मार्ग है। वर्तमान में मार्ग का उन्नयन/निर्माण तथा मार्ग के अंतर्गत पुल/पुलिया निर्माण किया जाना प्रस्तावित है।

2– प्रस्तावित मार्ग में पुरातत्वीय, पारम्परिक स्थल एवं रक्षा प्रतिष्ठान और अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र स्थित नहीं है।

3– प्रस्तावित मार्ग के निर्माण में वृक्ष नहीं प्रभावित हो रहे हैं, तथा न ही वृक्षों को काटा जाना प्रस्तावित है।

4– प्रस्तावित मार्ग के उन्नयन/निर्माण तथा मार्ग के अंतर्गत पुल/पुलिया निर्माण से वनक्षेत्र में वनस्पति प्राण जाति की दुर्लभ संकटापन्न विशिष्ट प्रजातियां दृष्टिगोचर नहीं हुई है।

5– आवेदित क्षेत्र में वन संरक्षण उल्लंघन का कार्य नहीं किया गया है।

6– आवेदित क्षेत्र में कोई भी ऐतिहासिक स्थल/चिन्ह आदि नहीं है।

7– आवेदित क्षेत्र में साल III एवं IV b श्रेणी का वन है, जिसका घनत्व 0.4 व 0.5 है।

8' प्रस्तावित मार्ग राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, जैव मंडल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कैरीडोर आदि का भाग नहीं है।

9– प्रस्तावित मार्ग का वन भूमि में उन्नयन/निर्माण तथा मार्ग के अंतर्गत पुल/पुलिया निर्माण के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है तथा इसके अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है।

अतः आवेदित वनक्षेत्र में प्रस्तावित कार्य के लिए अनुमति हेतु अनुशंसा की जाती है।

वनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल अनूपपुर